

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 29.5.2018

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/2018-19/
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति- हनुमानगढ (हनुमानगढ), केकडी (अजमेर)

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, (01)-बालकों के लिए उ.प्रा.वि. (02)-बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र.सं	ऑफिस आई.डी.	जि.शि.अ/बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1.	1477	हनुमानगढ (हनुमानगढ)	20992	श्री सुल्तान सिंह वरिष्ठ अध्यापक, GSS मोहनगरिया के हृदय रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2	1477	हनुमानगढ (हनुमानगढ)	51190	श्री गोवर्धन लाल विश्नाई अध्यापक जी एम एस के गंभीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
3	1477	हनुमानगढ (हनुमानगढ)	17346	स्वर्गाय श्रीमति प्रेम लता अध्यापिका राउप्रावि 13 HHM के गंभीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
4	1477	हनुमानगढ (हनुमानगढ)	48513	श्री बंशीधर शर्मा अध्यापक राबाउप्रावि मानका (हनुमानगढ) के पुत्र जयनारायण के हृदय रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
5	1477	हनुमानगढ (हनुमानगढ)	28965	श्रीमति कांता बंसल अध्यापिका राबाउप्रावि सतीपुरा के गंभीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
6	1412	केकडी (अजमेर)	91406	श्री अशोक कुमार व्यास अध्यापक राउप्रावि गुजरवाहा केकडी के हृदय रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
7	1580	जिला शिक्षा अधिकारी प्रांर शिक्षा अजमेर	195569	श्रीमति वन्दना शर्मा अध्यापिका, राउप्रावि जौन्सगज अजमेर के रोग अवधि 29.8.2017 से 30.8.2017 तक राशि 16762/- एवं अवधि 31.8.2017 से 10.9.2017 राशि 178807/- के गंभीर रोग उपचार चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
योग			453981	

(अखरे रूपये चार लाख तैरेपन हजार नो सौ इक्यासी मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे। उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का मुग्तान संबंधित केमचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/बजट/बी-7/2018-19/

दिनांक:- 29.5.2018

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,

पंचायत समिति:- देसुरी, जैतारण, (पाली), भीडर (उदयपुर) सुवाणा (भीलवाडा),
बडी सादडी (चित्तौडगढ), कामा (भरतपुर) निवाई(टोंक), झुझुनू

विषय:- चिकित्सामद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके मांग-पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202--सामान्य शिक्षा, 01-प्रारम्भिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, (01)-बालकों के लिए उ.प्रा.वि. (02)-बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये निम्नानुसार कार्यालयों को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2008/2013 के तहत प्रकरण की जाँच करने के उपरांत ही नियमानुसार किया जावे।

क्र.सं	ऑफिस आई.डी.	जि.शि.अ/बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में।	विशेष विवरण
1.	1404	देसुरी (पाली)	225673	श्री रमेश कुमार रिण्डर, अ.राउप्रावि गुडा मांगलियान (देसुरी) के किडनी ट्रांसप्लांट बिल राशि 196250/- एवं श्रीमति तुलसी देवी पति रमेश कुमार की राशि 29423/- का गम्भीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
2	1400	जैतारण (पाली)	57675	श्री बाबु लाल गुर्जर च.श्रेणी राउप्रावि बिकर लाई च.श्रेणी का हृदय रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
3	1660	भीडर (उदयपुर)	21213	श्री हरिदत्त मिश्रा अ. रा.मा.वि.नान्दवेल के पुत्र धिराग मिश्रा के हृदय रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
4	1423	सुवाणा (भीलवाडा)	28567	श्री अतुल कुमार जोशी शा.शि. राउप्रावि कलुन्दिया (सुवाणा) के गम्भीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
5	1674	बडी सादडी (चित्तौडगढ)	39323	श्री सलीम हुसैन प्र.अ. राउप्रावि भियाण के पाँच फेक्चर के गम्भीर रोग उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
6	1623	कामा (भरतपुर)	166031	श्री सुभाष चन्द्र प्र.अ. राउप्रावि ओलन्दा की पत्नी आशा रानी शर्मा का चिकित्सा पुनर्भरण बिल कि अवधि 21.7.2010 से 31.7.2010 एवं दिनांक 22.8.2010 से 27.8.2010 की राशि 70481/- एवं अवधि 30.8.210 से 15.9.2010 तक की राशि 95550/- का उपचार का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
7	1441	निवाई (टोंक)	115286	स्वर्गीय श्रीमति राजकुमारी शर्मा अ. राउप्रावि कशीरिया के रोग चैस्ट के ऑपरेशन का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
8	1469	झुझुनू (झुझुनू)	50509	श्रीमति कंचन लता अध्यापिका के विशेष रोग का चिकित्सा पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	704277	

(अखरें रूपये सात लाख चार हजार दो सौ सतहतर मात्र)


वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/ कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.13 के तहत IFMS अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक माह की 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपर्युक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कार्मिकों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।


मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमति.....
5. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी